

-- आदेश --

उपरोक्त प्रार्थियों ने भेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उपर दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाते हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					संशोधित किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
नूरपुरा	10	जैजूखं 510 जससूखं जाती कायप्रखानी श्रीव अहसुए	कुल कित्त 3	कुल रकबा 911	जैजूखं 510 जससूखं जाती कायप्रखानी श्रीव अहसुए	कुल कित्त 3	कुल रकबा 911

क्रमांक :- 532/26 X 21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

*(Handwritten Signature)*  
शिवशंकर प्रसाद शर्मा  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, मौलासर)  
पटवाड़ हल्का-2021  
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवाड़ हल्का *पटवाड़ हल्का* को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

*(Handwritten Signature)*  
शिवशंकर प्रसाद शर्मा  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, मौलासर)  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, मौलासर)  
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर